संख्या-780/प0स0प0/2001-296,सूचना/2001

प्रेषक,

सुभाष कुमार,

सचिव ।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,

सूचना एवं लोक सम्पर्क, विभाग,

उत्तरांचल,देहरादून ।

सूचना अनुभाग देहरादून- दिनांक- 18 अगस्त, 2001

विषयः उत्तरांचल प्रेस-प्रतिनिधि मान्यता नियमावली-2001 एवं उत्तरांचल विज्ञापन मान्यता नियमावली 2001 का प्रख्यापन ।

महोदय,

नवगठित उत्तरांचल राज्य के जनपदों में सूचना तन्त्र का प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाने हेतु उत्तरांचल प्रेस-प्रतिनिधि मान्यता नियमावली-2001 एवं उत्तरांचल विज्ञापन मान्यता नियमावली-2001 का क्रियान्वयन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उत्तरांचल प्रेस-प्रतिनिधि मान्यता नियमावली-2001 एवं उत्तरांचल विज्ञापन मान्यता नियमावली-2001 क्रमशः अनुलग्नक-1 तथा अनुलग्न-2 में उल्लिखित नियमों पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

यह भी अवगत कराना है कि नियमावलियों के प्रस्तर-ग में दिये गये प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकार किये गये कि उत्तरांचल प्रेस-प्रतिनिधि मान्यता नियमावली -2001 के नियम-3 में प्रेस मान्यता समिति तथा उत्तरांचल विज्ञापन मान्यता नियमावली-2001 के नियम-3 में विज्ञापन मान्यता समिति में 5-सदस्यों के स्थान पर कम से कम 5 सदस्य तथा अधिकतम 11 सदस्य रखे जाये ।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)

सचिव

संख्या-780(1)/प0स0प0/2001-296-सू0वि0/2001 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. सचिव,महामहिम राज्यपाल,उत्तरांचल ।
2. महालेखाकार उत्तरांचल,इलाहाबाद ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन ।
4. गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग ।
5. गार्ड फाईल सूचना अनुभाग उत्तरांचल शासन ।
6. [illegible]

आज्ञा से

(सुभाष कुमार)

सचिव